

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245515
SG-DL-E-28042023-245515असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 143]	DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945	[N. C. T. D. No. 35

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त विभाग
(मानव संसाधन प्रभाग: संवर्ग नियंत्रण इकाई)
अधिसूचना

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सं. फा. 2/3/2021-AC/1149.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की क्रमशः दिनांक 13 जुलाई 1959 एवं दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं0 27/59-एचआईएम/(I) एवं 24/78/68-डीएच (एस), के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात्, दिनांक 4 सितम्बर 2012 की अधिसूचना फा0 सं0 2/2/2005-एसी/डीएस. 1/1707-1710 द्वारा इस सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लेखा सेवा नियमावली, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :-

- (i) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा ।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखा सेवा नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित), नियम 2 के खंड (ग) को "सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का अभिप्राय मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी, उप लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का अभिप्राय उपराज्यपाल, दिल्ली से है" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त नियमावली के नियम 3 खंड (iii) के "उप-नियम-ii (क), (ख), (ग) और (घ) में पद को समूह क (राजपत्रित) में सामान्य सिविल पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उप नियम-ii (ड) और (च) में समूह ख (राजपत्रित) में सामान्य सिविल पद होंगे" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।।
4. (क) उक्त नियमावली के नियम 6 खंड (ग) को "उप लेखा नियंत्रक ग्रेड में रिक्ति उक्त पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पात्र लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 में 56,100 - 1,77,500/- तथा स्तर -09 में 53,100 - 1,67,800/- रुपये में वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा रखने वालों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उक्त नियमावली के नियम 6 खंड (घ) को "वरिष्ठ लेखा अधिकारी रिक्ति ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -09 में 53,100 - 1,67,800/- रुपये में पात्र लेखा अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी बशर्ते कि लेखा अधिकारियों के स्वीकृत पदों के 80 प्रतिशत के भीतर पदों की उपलब्धता हो " के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. (क) उक्त नियमावली के नियम 9 खंड (i) को "मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:
1. अध्यक्ष / सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
 2. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 3. प्रधान सचिव (वित्त)/ सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
- (ख) उक्त नियमावली के नियम 9 में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (क) को सन्निविष्ट किया जाएगा:
- "(i) (क) विभागीय स्थाईकरण समिति (डीसीसी) समूह ख से समूह क तक :
1. प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 — अध्यक्ष
 2. अपर सचिव/ विशेष सचिव (सेवाएं), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 3. मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 4. संयुक्त सचिव (एचआरडी), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य "
- (ग) उक्त नियमावली के नियम 9 खंड (ii) को उप लेखा नियंत्रक और लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:
1. प्रधान सचिव (वित्त)/सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 — अध्यक्ष
 2. श्रम आयुक्त, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 3. अपर सचिव (सेवाएं)/विशेष सचिव (सेवाएं), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 4. मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य
 5. संयुक्त सचिव (एचआरडी), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य "
6. उक्त नियमावली के साथ संलग्न "अनुलग्नक" के स्थान पर निम्नलिखित "अनुलग्नक" प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुलग्नक"

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	प्रतिनियुक्ति आरक्षण15%	अवकाश आरक्षण2%	प्रशिक्षण आरक्षण2%	कुल
1	मुख्य लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल:13 रु. 1,18,500-2,14,100)	01	—	—	—	01
2	लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल:12 रु. 78,800-2,09,200)	13	01	—	—	14
3	उप-लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल:11 रु. 67,700-2,08,700)	54	08	01	01	64
4	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	256	38	05	05	304

	(वेतन मैट्रिक्स का लेवल:10 रु. 56,100-1,77,500) / लेवल:09 वेतन मैट्रिक्स का रु. 53,100-1,67,800)					
5	सहायक लेखा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल:08 रु. 47,600-1,51,100)	642	96	12	12	762
	कुल	966	143	18	18	1145

7. उक्त नियमावली के साथ संलग्न "अनुसूची I से अनुसूची V " के लिए निम्नलिखित "अनुसूची I से अनुसूची V "को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**अनुसूची-I
मुख्य लेखा नियंत्रक**

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	प्रधान लेखा कार्यालय	1
	कुल	1

**अनुसूची-II
लेखा नियंत्रक**

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	प्रधान लेखा कार्यालय	1
2	आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय	2
3	शिक्षा निदेशालय	1
4	संभागीय आयुक्त कार्यालय	1
5	शहरी विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय निदेशालय	1
6	लोक निर्माण विभाग	1
7	लोक नायक अस्पताल	1
8	जी.टी.बी. अस्पताल और मेडिकल कॉलेज	1
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1
10	व्यापार और कर विभाग	1
11	परिवहन विभाग	1
12	महिला एवं बाल विकासनिदेशालय	1
	कुल	13

**अनुसूची-III
उप-लेखा नियंत्रक**

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	बुराड़ी अस्पताल	1
2	सेंट्रल जेल	1
3	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	1
4	व्यापार और कर विभाग	1
5	विकास विभाग	1
6	संभागीय आयुक्त कार्यालय	1
7	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल / कॉलेज	1
8	शिक्षा निदेशालय	6
9	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	2
10	आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय	7
11	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	1
12	निदेशालय महिला एवं बाल विकास	1
13	चुनाव कार्यालय	1
14	पर्यावरण विभाग	1

15	उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर विभाग	1
16	खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	1
17	जी.बी. पंत अस्पताल	1
18	जी.टी.बी. अस्पताल और मेडिकल कॉलेज	1
19	सामान्य प्रशासन विभाग	3
20	उद्योग विभाग	1
21	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	1
22	इंदिरा गांधी अस्पताल	1
23	श्रम विभाग	1
24	भूमि और भवन विभाग	1
25	भाषा विभाग (एसीएल)	1
26	विधान सभा	1
27	लोक नायक अस्पताल	1
28	उपराज्यपाल सचिवालय	1
29	ऊर्जा विभाग	1
30	प्रधान लेखा कार्यालय	7
31	समाज कल्याण विभाग	1
32	परिवहन विभाग	1
33	शहरी विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय निदेशालय	2
	कुल	54

अनुसूची-IV

लखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज	1
2	आचार्य भिक्षु अस्पताल	1
3	अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल	1
4	बाबू जगजीवन राम अस्पताल	1
5	भगवान महावीर अस्पताल	1
6	बुराड़ी अस्पताल	2
7	सेंट्रल जेल	2
8	सहकारिता विभाग	1
9	उपायुक्त कार्यालय मध्य	1
10	उपायुक्त कार्यालय पूर्व	1
11	उपायुक्त कार्यालय नई दिल्ली	1
12	उपायुक्त कार्यालय उत्तर	1
13	उपायुक्त कार्यालय उत्तर-पूर्व	1
14	उपायुक्त कार्यालय उत्तर-पश्चिम	1
15	उपायुक्त कार्यालय शाहदरा	1
16	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण	1
17	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण-पूर्व	1
18	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण-पश्चिम	1
19	उपायुक्त कार्यालय पश्चिम	1
20	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	2
21	दीप चंद बंधु अस्पताल	1
22	दिल्ली अग्निशमन सेवाएं	1
23	दिल्ली न्यायिक अकादमी	1
24	दिल्ली पुलिस	1
25	दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड	1

26	खाद्य सुरक्षा विभाग	1
27	व्यापार और कर विभाग	15
28	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1
29	विकास विभाग	1
30	संभागीय आयुक्त कार्यालय	2
31	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल/कॉलेज	2
32	डॉ० हेडगेवार आरोग्य संस्थान	1
33	डॉ० एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	1
34	आयुष/आईएसएम और होम्योपैथी निदेशालय	1
35	शिक्षा निदेशालय	26
36	परिवार कल्याण निदेशालय	1
37	स्वास्थ्य सेवानिदेशालय	4
38	उच्च शिक्षा निदेशालय	1
39	आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय	84
40	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2
41	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	1
42	चुनाव कार्यालय	2
43	उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर विभाग	1
44	खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	1
45	फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	1
46	वन और वन्यजीव	1
47	जी.बी. पंत अस्पताल	2
48	जी.टी.बी. अस्पताल और मेडिकल कॉलेज	2
49	सामान्य प्रशासन विभाग	1
50	गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल	1
51	गुरु नानक नेत्र केंद्र	1
52	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1
53	उद्योग विभाग	1
54	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	1
55	इंदिरा गांधी अस्पताल	1
56	जग प्रवेश चंद्र (शास्त्री पार्क) अस्पताल	1
57	श्रम विभाग	1
58	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	1
59	भूमि और भवन विभाग	1
60	विधान सभा	1
61	लोक नायक अस्पताल (एसटीसी सहित)	2
62	लोकायुक्त	1
63	उपराज्यपाल सचिवालय	1
64	महर्षि बाल्मिकी अस्पताल	1
65	मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	1
66	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (संस्थान)	1
67	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल	1
68	प्रधान लेखा कार्यालय	34
69	लोक निर्माण विभाग	7
70	राव तुला राम अस्पताल	1
71	ग्रामीण विकास विभाग	1
72	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	1
73	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1

74	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल	1
75	श्री दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	1
76	समाज कल्याण विभाग	1
77	पर्यटन विभाग	1
78	परिवहन विभाग	2
79	शहरी विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय निदेशालय	2
80	नागरिक सुरक्षा निदेशालय	1
	कुल	256

अनसूची-V

सहायक लेखा अधिकारी

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज	1
2	आचार्य भिक्षु अस्पताल	1
3	प्रशासनिक सुधार विभाग	1
4	कृषि विपणन विभाग	1
5	अंबेडकर नगर अस्पताल	1
6	अरुणा आसफ अली सरकारी अस्पताल	1
7	अत्तर सेन जैन अस्पताल	1
8	बाबू जगजीवनराम अस्पताल	1
9	भगवान महावीर अस्पताल	1
10	बुराड़ी अस्पताल	3
11	सेंट्रल जेल	10
12	कला महाविद्यालय	1
13	सहकारिता विभाग	2
14	उपायुक्त कार्यालय मध्य	1
15	उपायुक्त कार्यालय पूर्व	1
16	उपायुक्त कार्यालय नई दिल्ली	1
17	उपायुक्त कार्यालय उत्तर	1
18	उपायुक्त कार्यालय उत्तर पूर्व	1
19	उपायुक्त कार्यालय उत्तर पश्चिम	1
20	उपायुक्त कार्यालय शाहदरा	1
21	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण	1
22	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण पूर्व	1
23	उपायुक्त कार्यालय दक्षिण पश्चिम	1
24	उपायुक्त कार्यालय पश्चिम	1
25	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	3
26	दीप चंद बंधु अस्पताल	1

27	दिल्ली अभिलेखागार	1
28	दिल्ली अग्निशमन सेवाएं	3
29	दिल्ली पुलिस	3
30	दिल्ली अधिनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड	1
31	पुरातत्व विभाग	1
32	खाद्य सुरक्षा विभाग	1
33	व्यापार और कर विभाग	2
34	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2
35	विकास विभाग	5
36	संभागीय आयुक्त कार्यालय	4
37	डॉ० बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज	1
38	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल/कॉलेज	4
39	डॉ० हेडगेवार आरोग्य संस्थान	1
40	डॉ० एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	1
41	औषधि नियंत्रण विभाग	1
42	आयुष/आईएमएस एवं होम्योपैथी निदेशालय	2
43	नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक	1
44	अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी	1
45	शिक्षा निदेशालय	54
46	परिवार कल्याण निदेशालय	1
47	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	15
48	उच्च शिक्षा निदेशालय	2
49	आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय	168
50	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय	1
51	योजना एवं मूल्यांकन निदेशालय	1
52	अभियोजन पक्ष निदेशालय	1
53	लघु बचत निदेशालय	1
54	प्रशिक्षण (केन्द्र शासित प्रदेश सिविल सेवाएं) निदेशालय	1
55	प्रशिक्षण एवं तकनीकी सेवा निदेशालय	15
56	सतर्कता निदेशालय	1
57	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	4
58	चुनाव कार्यालय	1
59	रोजगार विभाग	1
60	पर्यावरण विभाग	1
61	उत्पाद एवं मनोरंजन कर विभाग	1
62	भारतीय चिकित्सा पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु जांच निकाय	1

63	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	11
64	फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	1
65	वन एवं वन जीव विभाग	2
66	जी.बी. पंत अस्पताल	3
67	जी.टी.बी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज	4
68	सामान्य प्रशासन विभाग	2
69	गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल	1
70	गुरु नानक नेत्र केन्द्र	1
71	गुरुद्वारा चुनाव	1
72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1
73	आवास ऋण विभाग	2
74	उद्योग विभाग	2
75	इंदिरा गांधी अस्पताल	2
76	सूचना एवं प्रचार	1
77	सूचना तकनीकी विभाग	1
78	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	20
79	जगप्रवेश चंद्र (शास्त्री पार्क) अस्पताल	1
80	श्रम विभाग	1
81	लालबहादुर शास्त्री अस्पताल	1
82	भूमि एवं भवन विभाग	5
83	भाषा विभाग (एसीएल)	1
84	कानून विभाग	1
85	विधानसभा	1
86	लोकनायक अस्पताल	4
87	उपराज्यपाल सचिवालय	1
88	महर्षि बाल्मीकि अस्पताल	1
89	मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	1
90	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (संस्थान)	2
91	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	2
92	आयुक्त कार्यालय (दिव्यांग)	1
93	पीजीसी	1
94	ऊर्जा विभाग	2
95	पुलिस शिकायत प्राधिकरण	1
96	प्रधान लेखा कार्यालय	116
97	लोक निर्माण विभाग	70
98	राज्य सैनिक बोर्ड	1

99	राव तुलाराम अस्पताल	1
100	चिट फंड पंजीयक	1
101	पुर्नवास	1
102	ग्रामीण विकास विभाग	1
103	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	2
104	सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1
105	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल	1
106	श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	1
107	समाज कल्याण विभाग	2
108	राज्य चुनाव आयोग	1
109	परिवहन विभाग	11
110	शहरी विकास विभाग एवं स्थानीय निकाय निदेशालय	4
111	भार एवं माप विभाग	1
	कुल (V)	642

टीप: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लेखा सेवा नियमावली-2012 दिनांक 4 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना सं0फा0 2/2/2005-एसी/डीएस.आई/1707-1710 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित की गई थी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लेखा सेवा(संशोधन) नियमावली-2017 के रूप में दिनांक 26.05.2017 की अधिसूचना सं0फा02/1/2016-एसी/जेएसइएक्सपी/1098-1101 के द्वारा संशोधित की गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से एवं उनके नाम पर

पी. वी. एस. एस. सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

FINANCE DEPARTMENT

(Human Resource Division: Cadre Control Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th April, 2023

No. F. 2/3/2021-AC/1149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notifications No.27/59-Him/(I) and F.24/78/68-DH(S), dated the 13th July, 1959 and 24th September, 1968 respectively, the Lieutenant Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, is pleased to make the following amendments to the Government of National Capital Territory of Delhi Accounts Service Rules, 2012 published vide Gazette Notification of this Government vide Notification F. No. 2/2/2005-AC/DS.I/1707-1710 dated 4th September, 2012 as namely:

- (i) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Accounts Service (Amendment) Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Government of National Capital Territory of Delhi Accounts Service Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), clause (c) in Rule 2 shall be substituted as “Appointing Authority in relation to Assistant Accounts Officer and Accounts Officer means the Chief Secretary and in relation to Senior Accounts Officer, Deputy Controller of Accounts, Controller of Accounts and Chief Controller of Accounts means the Lt. Governor of Delhi”.

3. Rule 3 clause (iii) of the said rules shall be substituted as “The post in sub-rule-ii (a), (b), (c) and (d) shall be classified as General Civil posts in Group A (Gazetted) and in sub rule-ii (e) and (f) shall be General Civil posts in Group B (Gazetted)”.
4. (a) Rule 6 clause (C) of the said rules shall be substituted as “The vacancy in the Deputy Controller of Accounts grade shall be filled by promotion by selection on the basis of the recommendations of Departmental Promotion Committee from among eligible Accounts Officers/Senior Accounts Officers having five years regular service in the said posts or five years combined regular service as Senior Accounts Officer and Accounts Officer in the Level-10: Rs. 56,100-1,77,500 and Level-09: Rs.53,100-1,67,800 in the Pay Matrix”.
- (b) Rule 6 clause (D) of the said rules shall be substituted as “The vacancy in the Senior Accounts Officer grade shall be filled by promotion by selection on the basis of the recommendations of Departmental Promotion Committee from among eligible Accounts Officers in Level-09: Rs.53,100-1,67,800 in the Pay Matrix having two years regular service in the Grade subject to availability of posts within 80% of the sanctioned posts of Accounts Officer. The promotion to these posts shall be made in consultation with the Commission”.
5. (a) Rule 9 clause (i) of the said rules shall be substituted as “For promotion to the post of Chief Controller of Accounts, Controller of Accounts and Senior Accounts Officer:
1. Chairman/Member of UPSC — Chairman
 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi — Member
 3. Pr. Secretary (Finance)/ Secretary (Finance), GNCT of Delhi — Member”
- (b) In rule 9 of the said rules, after clause (i), following sub-rule (a) shall be inserted:
- “(i) (a) Departmental Confirmation Committee (DCC) from Group B to Group A:
1. Principal Secretary/Secretary (Finance), GNCT of Delhi — Chairman
 2. Additional Secretary/ Spl. Secretary (Services), GNCT of Delhi — Member
 3. Chief Controller of Accounts/ Controller of Accounts, GNCT of Delhi — Member
 4. Joint Secretary (HRD), GNCT of Delhi — Member”
- (c) Rule 9 clause (ii) of the said rules shall be substituted as “For promotion to the post of Deputy Controller of Accounts and Accounts Officer:
1. Pr. Secretary (Finance)/ Secretary (Finance), GNCT of Delhi — Chairman
 2. Labour Commissioner, GNCT of Delhi — Member
 3. Addl. Secretary (Services)/Spl. Secretary (Services), GNCT of Delhi — Member
 4. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts, GNCT of Delhi — Member
 5. Joint Secretary (HRD), GNCT of Delhi — Member”
6. For the “Annexure” attached with the said rules, the following “Annexure” shall be substituted, namely:-

"Annexure

Sl. No.	Name of the Post	Sanctioned Strength	Deputation Reserve @ 15%	Leave Reserve @ 2%	Training Reserve @ 2%	Total
1	Chief Controller of Accounts (Level: 13 of Pay Matrix Rs.1,18,500-2,14,100)	1	--	--	--	1
2	Controller of Accounts (Level: 12 of Pay Matrix Rs.78,800-2,09,200)	13	1	--	--	14
3	Dy. Controller of Accounts (Level: 11 of Pay Matrix Rs.67,700-2,08,700)	54	8	01	01	64
4	Sr. Accounts Officer/ Accounts Officer (Level: 10 of Pay Matrix Rs.56,100-1,77,500/Level: 09 of Pay Matrix Rs.53,100- 1,67,800)	256	38	5	5	304

5	Assistant Accounts Officer (Level: 08 of Pay Matrix Rs.47,600-1,51,100)	642	96	12	12	762
Grand Total		966	143	18	18	1145

”

7. For the “Schedule I to Schedule V” attached with the said rules, the following “Schedule I to Schedule V” shall be substituted, namely:-

**"SCHEDULE - I
CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS**

S.No.	Name of the Department	No. of Posts
1	Pr. Accounts Office	1
	Total	1

**SCHEDULE - II
CONTROLLER OF ACCOUNTS**

S.No.	Name of the Department	No. of Posts
1	Pr. Accounts Office	1
2	Dte. of Internal Audit	2
3	Dte. of Education	1
4	Divisional Commissioner's Office	1
5	Urban Dev. Department & Dte. of Local Bodies	1
6	Public Works Department	1
7	Lok Nayak Hospital	1
8	G.T.B. Hospital & Medical College	1
9	Health & Family Welfare	1
10	Department of Trade & Taxes	1
11	Transport Department	1
12	Dte. of Women & Child Development	1
	Total	13

**SCHEDULE - III
DEPUTY CONTROLLER OF ACCOUNTS**

S.No.	Name of the Department	No. of Posts
1	Burari Hospital	1
2	Central Jail	1
3	Deen Dayal Upadhyay Hospital	1
4	Department of Trade & Taxes	1
5	Development Department	1
6	Divisional Commissioner's Office	1
7	Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital/College	1
8	Directorate of Education	6

9	Directorate of Health Services	2
10	Directorate of Internal Audit	7
11	Directorate of Training and Technical Education	1
12	Directorate of Women & Child Development	1
13	Election Office	1
14	Environment Department	1
15	Excise and Entertainment Tax Deptt.	1
16	Food & Civil Supplies and Consumer Affairs	1
17	G.B. Pant Hospital	1
18	G.T.B. Hospital & Medical College	1
19	General Administration Department	3
20	Industries Department	1
21	Irrigation & Flood Control Department	1
22	Indira Gandhi Hospital	1
23	Labour Department	1
24	Land & Building Department	1
25	Language Department (ACL)	1
26	Legislative Assembly	1
27	Lok Nayak Hospital	1
28	Lt. Governor's Secretariat	1
29	Power Department	1
30	Pr. Accounts Office	7
31	Social Welfare Department	1
32	Transport Department	1
33	Urban Dev. Department & Dte. of Local Bodies	2
	Total	54

SCHEDULE - IV
ACCOUNTS OFFICERS/SENIOR ACCOUNTS OFFICERS

S.No.	Name of the Department	No. of Posts
1	A & U Tibbia College	1
2	Acharya Bikshu Hospital	1
3	Aruna Asaf Ali Govt. Hospital	1
4	Babu Jagjivan Ram Hospital	1
5	Bhagwan Mahavir Hospital	1
6	Burari Hospital	2
7	Central Jail	2

8	Cooperative Department	1
9	DC Office Central	1
10	DC Office East	1
11	DC Office New Delhi	1
12	DC Office North	1
13	DC Office North East	1
14	DC Office North West	1
15	DC Office Shahdara	1
16	DC Office South	1
17	DC Office South East	1
18	DC Office South West	1
19	DC Office West	1
20	Deen Dayal Upadhyay Hospital	2
21	Deep Chand Bandhu Hospital	1
22	Delhi Fire Service	1
23	Delhi Judicial Academy	1
24	Delhi Police	1
25	Delhi Subordinate Staff Selection Board	1
26	Department of Food Safety	1
27	Department of Trade & Taxes	15
28	Deptt. for Welfare of SC/ST & OBCs	1
29	Development Department	1
30	Divisional Commissioner's Office	2
31	Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital/College	2
32	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	1
33	Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital	1
34	Dte. of Ayush/ISM & Homeopathy	1
35	Dte. of Education	26
36	Dte. of Family Welfare	1
37	Dte. of Health Services	4
38	Dte. of Higher Education	1
39	Dte. of Internal Audit	84
40	Dte. of Training and Technical Education	2
41	Dte. of Women & Child Development	1
42	Election Office	2
43	Excise and Entertainment Tax Deptt.	1

44	Food & Civil Supplies and Consumer Affairs	1
45	Forensic Science Laboratory	1
46	Forests and Wildlife	1
47	G.B. Pant Hospital	2
48	G.T.B. Hospital and Medical College	2
49	General Administration Department	1
50	Guru Gobind Singh Hospital	1
51	Guru Nanak Eye Centre	1
52	Health & Family Welfare	1
53	Industries Department	1
54	Irrigation & Flood Control Department	1
55	Indira Gandhi Hospital	1
56	Jag Prवेश Chandra (Shastri Park) Hospital	1
57	Labour Department	1
58	Lal Bahadu Shastri Hospital	1
59	Land & Building Department	1
60	Legislative Assembly	1
61	Lok Nayak Hospital (Including STC)	2
62	Lokayukta	1
63	Lt. Governor's Secretariat	1
64	Maharishi Balmiki Hospital	1
65	Malviya Nagar Colony Hospital	1
66	Maulana Azad Medical College (Institute)	1
67	Nehru Homeopathic Medical College & Hospital	1
68	Pr. Accounts Office	34
69	Public Works Department	7
70	Rao Tula Ram Hospital	1
71	Rural Development Deptt.	1
72	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	1
73	Sardar Ballabh Bhai Patel Hospital	1
74	Satyawadi Raja Harishchandra Hospital	1
75	Shri Dadadev Matri Avum Shishu Chikitsalay	1
76	Social Welfare Department	1
77	Tourism Department	1
78	Transport Department	2
79	Urban Dev. Department & Dte. of Local Bodies	2

80	Dte. of Civil Defence	1
	Total	256

SCHEDULE – V**ASSISTANT ACCOUNTS OFFICERS**

S.No.	Name of the Department	No. of Posts
1	A&U Tibbia College	1
2	Acharya Bikshu Hospital	1
3	Administrative Reforms Department	1
4	Agriculture Marketing Department	1
5	Ambedkar Nagar Hospital	1
6	Aruna Asaf Ali Govt. Hospital	1
7	Attar Sen Jain Hospital	1
8	Babu Jagjivan Ram Hospital	1
9	Bhagwan Mahavir Hospital	1
10	Burari Hospital	3
11	Central Jail	10
12	College of Arts	1
13	Cooperative Department	2
14	DC Office Central	1
15	DC Office East	1
16	DC Office New Delhi	1
17	DC Office North	1
18	DC Office North East	1
19	DC Office North West	1
20	DC Office Shahdara	1
21	DC Office South	1
22	DC Office South East	1
23	DC Office South West	1
24	DC Office West	1
25	Deen Dayal Upadhyay Hospital	3
26	Deep Chand Bandhu Hospital	1
27	Delhi Archives	1
28	Delhi Fire Service	3
29	Delhi Police	3
30	Delhi Subordinate Staff Selection Board	1

31	Department of Archaeology	1
32	Department of Food Safety	1
33	Department of Trade & Taxes	2
34	Deptt. for Welfare of SC/ST & OBCs	2
35	Development Department	5
36	Divisional Commissioner's Office	4
37	Dr. B. R. Sur Homeopathic Medical College	1
38	Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital/College	4
39	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan	1
40	Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital	1
41	Drug Control Department	1
42	Dte. Of Ayush/ISM & Homeopathy	2
43	Dte. Of Civil Defence & Home Guards	1
44	Dte. Of Economics & Statistics	1
45	Dte. Of Education	54
46	Dte. Of Family Welfare	1
47	Dte. Of Health Services	15
48	Dte. Of Higher Education	2
49	Dte. Of Internal Audit	168
50	Dte. Of NCC	1
51	Dte. Of Planning & Evaluation	1
52	Dte. Of Prosecution	1
53	Dte. Of Small Savings	1
54	Dte. Of Training (UTCS)	1
55	Dte. Of Training and Technical Education	15
56	Dte. Of Vigilance	1
57	Dte. Of Women & Child Development	4
58	Election Office	1
59	Employment Department	1
60	Environment Department	1
61	Excise and Entertainment Tax Deptt.	1
62	Examining body for Paramedical Training for Bharatiya Chikitsa	1
63	Food & Civil Supplies and Consumer Affairs	11
64	Forensic Science Laboratory	1
65	Forest and Wildlife Department	2
66	G.B. Pant Hospital	3

67	G.T.B. Hospital and Medical College	4
68	General Administration Department	2
69	Guru Gobind Singh Hospital	1
70	Guru Nanak Eye Centre	1
71	Gurudwara Election	1
72	Health & Family Welfare	1
73	Housing Loan Department (GAD)	2
74	Industries Department	2
75	Indira Gandhi Hospital	2
76	Information & Publicity	1
77	Information Technology Department	1
78	Irrigation & Flood Control Department	20
79	Jag Pravesh Chandra (Shastri Park) Hospital	1
80	Labour Department	1
81	Lal Bahadu Shastri Hospital	1
82	Land & Building Department	5
83	Language Department (ACL)	1
84	Law Department	1
85	Legislative Assembly	1
86	Lok Nayak Hospital	4
87	Lt. Governor's Secretariat	1
88	Maharishi Balmiki Hospital	1
89	Malviya Nagar Colony Hospital	1
90	Maulana Azad Medical College (Institute)	2
91	Nehru Homeopathic Medical College & Hospital	2
92	Office of the Commissioner (Disabilities)	1
93	PGC	1
94	Power Department	2
95	Police Complaint Authority	1
96	Pr. Accounts Office	116
97	Public Works Department	70
98	Rajya Sainik Board	1
99	Rao Tula Ram Hospital	1
100	Registrar of Chit Fund	1
101	Rehabilitation	1
102	Rural Development Deptt.	1

103	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	2
104	Sardar Ballabh Bhai Patel Hospital	1
105	Satyawadi Raja Harishchandra Hospital	1
106	Shri Dadadev Matri Avum Shishu Chikitsalay	1
107	Social Welfare Department	2
108	State Election Commission	1
109	Transport Department	11
110	Urban Dev. Department & Dte. of Local Bodies	4
111	Weights & Measures Department	1
	Total (V)	642

”

Note: The Government of National Capital Territory of Delhi Accounts Service Rules, 2012 was published in the Gazettee of Delhi, Extraordinary, Part – IV, vide notification F. No. 2/2/2005-AC/DS.I/1707-1710 dated 4th September, 2012 and amended vide notification No. F.2/1/2016-AC/JSEXP/1098-1101 dated 26.05.2017 as Government of National Capital Territory of Delhi Accounts Service (Amendment) Rules, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

P. V. S. S. SUBBA RAO, Jt. Secy.